

न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

नु. ५०४/१८
सरकार

बनाम

श्री:

रामकेश पुत्र
श्रीमती जारि मीना

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 12/3/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामकेश पुत्र श्री श्रीमती जाति मीना निवासी मेडा (दौसा जिला) तहसील महवा ने संवत् 20-74 फसल रवि / खरीफ में ग्राम ओसमीना की राजकीय आराजी खसरा नं. 687 रकबा 1.50 किस्म शस्ता भूमि से 40 रकबा पर अनाधिकृत रूप से धुआं शकट कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.05 का 50 गुना 327 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिना
नायब तहसीलदार
दौसा (मेडा)

नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/व को पेश नं. 89 पर
वर्ष 2017-18 में
की राशि 327
की जमा राशि को
दिनांक : 12/3/18
लेखाकार
तहसील-महवा